

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : दयानन्द रूयल, तहसीलदार

मिसल संख्या : 266/18

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 12.03.2019

निर्णय दिनांक : 7/7/2020

राजस्थान सरकार

बनाम

गणपतराम पुत्र रामूराम

जाति कुमावत नि0 पांचवा

—: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गणपतराम पुत्र रामूराम जाति कुमावत निवासी पांचवा नें ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 329 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर में से रकबा 0.1125 हैक्टेर किस्म गै.मु. गौचर भूमि पर सम्वत 2075 में पक्का मकान मय पक्की चारदीवारी तथा बाड़ा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वय उपस्थित हुआ तथा जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि के पट्टे जारी कर उक्त भूमि आबादी में परिवर्तित कि हुयी है, उक्त भूमि की गिरदावरी में काश्तकार भी दर्शाया गया है। उक्त भूमि अतिक्रमण नहीं होना बताया गया।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना -पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं उक्त भूमि आज दिन भी राजस्व रिकोर्ड में गैर मु. गौचर दर्ज है। गैर मु. गौचर किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में है जिसमें कभी भी किसी तरह का स्वामित्त प्राप्त नहीं हो सकता। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

C  
तहसीलदार कुचामन  
जिला- नागौर

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है  
अप्रार्थी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, की डी.बी. सिविल  
रिट याचिका संख्या 11153/2011 सोमोटो बनाम राजस्थान सरकार में  
पारित आदेश दिनांक 11.03.2019 की पालना में ग्राम पांचवा के आराजी  
राज खसरा नम्बर 329 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर गै.मु. गौचर भूमि में से  
रकबा 0.1125 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने  
तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.5625 का पच्चास गुणा से  
राशि 30/- अक्षरे तीस रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी  
हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल  
कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे।  
आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी  
हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 2/7/20 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय  
की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

माँग कायमी रा.ले.स.-4  
पृष्ठ संख्या 40  
वर्ष 20-21  
रा.जुर्माना -  
क.निलामी -  
गोचर जुर्माना 40  
प्रा.पैदावार -

तराले कुचामन सिटी

(बयानन्द रुयल)  
तहसीलदार कुचामन सिटी  
जिला नागौर -राज0